झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–141/2017 का०–10305/राँची, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017

श्री गिरिजानन्द किस्कू, झा0प्र0से0 (चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला–बोकारो), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद के पत्रांक–1295, दिनांक–19.09.2017 द्वारा, जो उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक–1222/गो0, दिनांक–22.09.2017 द्वारा प्राप्त है, द्वारा सूचित किया गया है कि भ्र0नि0 ब्यूरो थाना धनबाद कांड सं0–27/17 के अभियुक्त श्री गिरिजानन्द किस्कू, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बाघमारा को 50,000/– रूपये रिश्वत लेते हुए दिनांक–19.09.2017 को गिरफ्तार गया है। श्री किस्कू संप्रति न्यायिक हिरासत में हैं

2. अतः श्री किस्कू झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 19.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित समझे जायेंगे।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद ये कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देगें।

4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

4.10.17

(सूर्य प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–141/2017 का०–10305/राँची, दिनांक 5 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, उ0छो0 प्रमंडल, हजारीबाग/उपायुक्त, धनबाद/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5/श्री गिरिजानन्द किस्कू, झा0प्र0से0, द्वारा–अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.10.17

सरकार के संयुक्त सचिव।